भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 610
25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु लक्ष्य

610. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अब तक राज्य-वार कुल कितने आवास बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का पीएमएवाई के तहत तीन करोड़ नए आवास बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएमएवाई के तहत देश में गांवों और शहरों में अलग-अलग कितने आवास बनाए जाने की संभावना है;

(घ) इन नवनिर्मित आवास में प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएमएवाई के तहत आवास के निर्माण के लिए स्वीकृत और जारी की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने पीएमएवाई को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी

नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने इस योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 15.07.2024 की स्थिति के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा कुल 118.63 लाख आवासों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 114.33 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 85.04 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/ लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुकें हैं। स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/ लाभार्थियों को सुपुर्द किए गए आवासों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के तहत आवासों के निर्माण के लिए कुल 1,99,652 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें से 1,64,061.18 करोड़ रु. की धनराशि शुरुआत से लेकर चालू वित्त वर्ष तक जारी की जा चुकी है। योजना को सीएलएसएस घटक को छोड़कर, 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि वित्तपोषण पद्धति और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना सभी स्वीकृत आवासों को पूरा किया जा सके। मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष आवासों को पूरा करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.06.2024 को पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है।

*****

दिनांक 25-07-2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/लाभार्थियों को सुपुर्द किए गए आवासों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वास्तविक प्रगति (संख्या)		
			स्वीकृत आवास	निर्माणाधीन आवास	पुरे हो चुके आवास
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,37,028	19,90,937	9,73,837
2		बिहार	3,14,477	3,05,811	1,47,979
3		छत्तीसगढ़	3,02,663	2,89,128	2,38,894
4		गोवा	3,146	3,146	3,145
5		गुजरात	10,05,204	9,83,778	9,18,185
6		हरियाणा	1,15,034	93,153	68,114
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,668	10,705
8		झारखंड	2,29,156	2,13,534	1,42,810
9		कर्नाटक	6,38,121	5,73,160	3,69,449
10		केरल	1,67,322	1,47,721	1,23,453
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,49,265	8,01,068
12		महाराष्ट्र	13,64,923	11,16,949	8,55,339
13		ओडिशा	2,03,380	1,80,647	1,47,148
14		पंजाब	1,32,235	1,16,264	83,894
15		राजस्थान	3,19,863	2,64,357	1,91,971
16		तमिलनाडु	6,80,347	6,63,430	5,70,294
17		तेलंगाना	2,50,084	2,44,219	2,24,659
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	17,33,051	15,47,101
19		उत्तराखंड	64,391	60,160	34,504
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,12,998	4,00,257
उप-योग (राज्य) :-			**113,47,055**	**105,54,376**	**78,52,806**
21	संघ राज्य क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,070	7,753

22		असम	1,76,643	1,60,473	1,02,712
23		मणिपुर	56,037	48,657	14,699
24		मेघालय	4,758	3,793	1,632
25		मिजोरम	39,605	39,215	11,069
26		नागालैंड	31,860	31,841	22,850
27		सिक्किम	316	316	202
28		त्रिपुरा	92,854	84,751	74,049
उप-योग (उत्तर पूर्व राज्य) :-			**4,10,572**	**3,77,116**	**2,34,966**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	376	376	47
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256
31		दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	9,947	9,947	9,230
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	47,040	42,894	24,244
34		लद्दाख	1,307	1,014	843
35		लक्षद्वीप	-	-	-
36		पुदुचेरी	15,995	15,271	9,994
उप-योग (यूटी) :-			**1,05,897**	**1,00,734**	**75,590**
कुल योग :-			**118.64 लाख**	**114.33 लाख***	**85.04 लाख***

* इस मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के (4.01 लाख) निर्माणाधीन और (3.41 लाख) पूर्ण आवास शामिल हैं